284

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी R- 2229- IV/16

श्री लखन सिंह धाकड़ अधि. द्वारा आज दि. 05/07/16 को प्रस्तुत
5-7-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Lakhan Singh Dhakar
Advocate

रामवती पुत्री छिंगा पत्नी लखन कुशवाह कृषक ग्राम तिलातिली, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी, निवासी– ग्राम झागर, तहसील शाडोरा, जिला अशोकनगर म.प्र.

............आवेदक

बनाम्

1– हरीराम

2– बाबूलाल

3– फूलसिंह पुत्रगण लटूरीरा कुशवाह, निवासी– ग्राम तिलातिली, तहसील बदरवास, जिला शिवपुरी,

.........अनावेदकगण

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 30/15–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 29.06.16 के विरूद्ध प्रस्तुत।

माननीय न्यायालय,

अपीलांट की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रेषित है :–

–:प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

प्रकरण कमांक निगरानी 2229–दो / 2016 जिला शिवपुरी

रामवती विरूद्ध हरीराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25–8–2019	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में निगरानीकर्ता का मामला वसीयतनामे पर आधारित है। इस संबंध में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया है कि इस प्रकरण में विवादित भूमि पर आवेदिका रामवती ने वसीयतनामे के आधार पर नामांतरण किये जाने की प्रार्थना की थी। जिसे अपर आयुक्त ने अस्वीकार किया है। आवेदक ने कथित वसीयतनामे के आधार स्वत्व घोषण हेतु व्यवहारवाद प्रस्तुत किया था जो कि अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश कोलारस ने अपने निर्णय एवं डिकी द्वारा दिनांक 30–11–2017 से निरस्त किया गया। व्यवहार न्यायालय ने वसीयतनामा निष्पादित किया होना ही प्रमाणित नहीं माना है। उक्त निर्णय की प्रति भी प्रस्तुत की गई है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि व्यवहारवाद में पारित निर्णय राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है। निगरानीकर्ता अधिवक्ता के पास इसका कोई खण्डन में और कूछ नहीं कहा है। फलस्वरूप निगरानी आवेदन अस्वीकार किया जाता है। (जे0के0 जैन) सदस्य	